प्रकरण संख्याः– 41/2024

परमेश्वर वगैरहा बनाम भंवर वगैरहा

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
9/1/26	पत्रावली पेश हुई। वादी प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा गत पेशी दिनांक 22.12.2025 को अपनी सहमती आदेशिका पर अंकित कर दी गई थी। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार दिनांक 25.03.2025 को पारित की गई थी तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को हक हिस्से एवं मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया था। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भूअ/2025/3566 दिनांक 06.11.2025 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक दिनांक 30.10.2025 से सूचना पत्र समस्त पक्षकारान् को जारी किया गया। सूचना पत्र पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के हस्ताक्षर है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित रहे तथा तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव में दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर है। वादी को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त दो अवसर दिये गये, परन्तु वादी एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप बाबत् विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। विभाजन प्रस्ताव पर समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वादी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय की अनुपालना में अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 9/1/26 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा **सहायक कलक्टर** **भीलवाड़ा**	

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. परमेश्वर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी समोडी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. चांद कंवर पुत्री लक्ष्मण सिंह राजपुत पत्नी श्री फतेह सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी समोड़ी हाल निवासी झांतल तह0 बनेड़ा जिला शाहपुरा
3. किशन सिंह पुत्र
4. रणजीत सिंह पुत्र
5. शैल कंवर पत्नी
6. मनभर कंवर पुत्री लक्ष्मण सिंह राजपुत पत्नी जगदीश सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी समोड़ी हाल निवासी भीमडियास जिला भीलवाड़ा
7. सुशीला कंवर पुत्री लक्ष्मण सिंह राजपुत पत्नी जय सिंह राठौड़ आयु वयस्क निवासी समोड़ी हाल निवासी चन्द्रशेखर आजाद नगर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

—वादीगण

बनाम

1. भंवर सिंह पुत्र मूल सिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी समोड़ी तह0 एंव जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188, 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वद बाबत विभाजन आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 41/2024 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री राकेश जैन उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 09.01.2026 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है–

तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादीगण को समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति/आक्षेप प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव डिकी का अभिन्न अंग रहेगा।

9/1/26

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा